संख्या-28/2024/001-22748877(1)/12-2099/49/2022

प्रेषक,

ऋषिरेन्द्र कुमार,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कृषि निदेशक,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कृषि अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक 19 मार्च, 2024

विषयः-वित्तीय वर्ष 2023-24 की अनुदान संख्या-11 की लेखाशीर्ष 4401-फसल कृषि कर्म पर पूंजीगत परिव्यय, 105-खाद तथा उर्वरक, 03-देश में निर्मित रासायनिक उर्वरकों की लागत एवं प्रासंगिक व्यय के मानक मद 42-अन्य व्यय के अन्तर्गत गोदाम किराए के भुगतान हेतु पुनर्विनियोग के माध्यम से वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–उर्वरक/2163/पुनर्विनियोग/2023-24, दिनॉक 04 मार्च, 2024 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक 4401-फसल कृषि कर्म पर पूंजीगत परिव्यय-107-वनस्पति संरक्षण-03-कीटनाशक औषधियों की खरीद की लागत जिसमें प्रासंगिक व्यय सम्मिलित है के मानक मद-43-सामग्री एवं सम्पूर्ति में धनराशि रूपये 3.62 लाख की बचत से अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक 4401-फसल कृषि कर्म पर पूंजीगत परिव्यय, 105-खाद तथा उर्वरक, 03-देश में निर्मित रासायनिक उर्वरकों की लागत एवं प्रासंगिक व्यय के मानक मद 42-अन्य व्यय में धनराशि रू0 3.62 लाख (रूपये तीन लाख बासठ हजार मात्र) की धनराशि संलग्न प्रपत्र बी0एम0-9 (भाग-1) के अनुसार पुनर्विनियोग किये जाने की श्री राज्यपाल महोदया निम्नलिखित शर्तो के अधीन स्वीकृति प्रदान करती है:-

नियम व शर्तें / प्रतिबन्ध

1. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय योजना की गाइड लाइन्स एवं संगत नियमों के अनुसार किया जायेगा।
2. बचत की धनराशि एवं व्यय की जाने वाली धनराशि का औचित्य आपके द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
3. योजनान्तर्गत जिस मद से पुनर्विनियोग किया जा रहा है, उसमें चालू वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त धनराशि की मांग नहीं की जायेगाी।
4. जिस मद में पुनर्विनियोग किया जा रहा है, उसका सदुपयोग इसी वित्तीय वर्ष में कर लिया जायेगा।
5. धनराशि का व्यय केवल उन्ही मदों पर किया जायेगा जिस मद के लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है।
6. प्रस्ताव में आकड़ों की शुद्धता का दायित्व प्रशासकीय विभाग का होगा।
7. जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी द्वारा प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये।
8. व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययता के सबंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
9. स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण/व्यय वित्त(आय-व्ययक)अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 17 मार्च, 2023 में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय रूपये 3,62,000 (रूपये तीन लाख बासठ हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक में **अनुदान संख्या** 011 **लेखा शीर्षक** 4401001050300 देश में निर्मित रासायनिक उर्वरकों की लागत एवं प्रासंगिक व्यय **मानक मद** 42 अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक 17 मार्च, 2023 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
ऋषिरेन्द्र कुमार
विशेष सचिव।

संख्या-28/2024/001-2748877(2)/12-2099/49/2022, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा)-प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3. वित्त नियंत्रक, कृषि विभाग, लखनऊ।
4. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ, उप कोषाधिकारी, उ0प्र0।
5. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1/बजट अनुभाग-1/2/कृषि अनुभाग-5/नियोजन अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन।
6. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
ऋषिरेन्द्र कुमार
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

बी एम-9 (भाग - 1)

पुनर्विनियोग के लिए आवेदन/स्वीकृति

(संदर्भ : बजट मैनुअल का प्रस्तर- 158)

A012-20232024-2748877 2024 12 - 2099 49 2022

विषय:-अनुदान संख्या 11 के लेखाशीर्षक 4401 फसल कृषि कर्म पर पूंजीगत परिव्यय 105 खाद तथा उर्वरक 03 देश में निर्मित रासायनिक उर्वरकों की लागत पर प्रासंगिक व्यय 42 अन्य व्यय के अन्तर्गत गोदाम किराए के भुगतान हेतु पुनर्विनियोग के माध्यम से स्वीकृति का प्रस्ताव।

निम्नलिखित निधियो से प्रस्तावित संक्रमण

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान / विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	संक्रमण पश्चात् अनुदान / विनियोग के शेष	वित्तीय वर्ष
011	4401001070300 (कीटनाशक औषधियों की खरीद की लागत जिसमें प्रासंगिक व्यय सम्मिलित है)	43 (सामग्री एवं सम्पूर्ति)	35,00,00,000 रुपये पैंतीस करोड़ मात्र	4,68,12,000 रुपये चार करोड़ अड़सठ लाख बारह हजार मात्र	3,62,000 रुपये तीन लाख बासठ हजार मात्र	34,96,38,000	2023-2024

निम्नलिखित निधियो मे प्रस्तावित संक्रमण

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध / विनियोग	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि	संक्रमण पश्चात् अनुदान विनियोग के शेष /	वित्तीय वर्ष
011	4401001050300 (देश में निर्मित रसायनिक उर्वरकों की लागत एवं प्रासंगिक व्यय)	42 (अन्य व्यय)	4,50,000 रुपये चार लाख पचास हजार मात्र	3,62,000 रुपये तीन लाख बासठ हजार मात्र	8,12,000	2023-2024

कृपया उपरोक्त प्रस्ताव पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रशासनिक विभाग को अनुमोदन देना चाहे :-

1-स्तम्भ-3 में उपलब्ध अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ-4 में अंकित बचत निम्नलिखित कारणों से है:-

(अ)-उपलब्ध धनराशि की उक्त मद में व्यय सम्भव न होने के कारण बचत है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट से सत्यापित की जा सकती है ।

2- स्तम्भ-8 में उल्लिखित उपलब्ध अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ-9 में अंकित अधिक व्यय निम्नलिखित कारणों से है:-

(ब)- मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित रिट याचिका संख्या सी-185/2024 में हरि किशोर सिंह बनाम उ0प्र0
राज्य सरकार के प्रकरण में दिनांक 22.02.2024 को दिये गये निर्देश के क्रम में गोदाम/मकान के किराये का भुगतान
हेतु।

3- प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर संख्या-150 व 151 में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों/परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

बजट-1-681 Fo 18-03-2024

संख्याः आर ई-< >-2023-24, दिनांक- मार्च, 2024

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम,
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

(विनोद कुमार सिंह)
उप सचिव।

Digitally Signed by रमेश चन्द्र तिवारी
Date: 15-03-2024 15:53:26
Reason: उप सचिव
(रमेश चन्द्र तिवारी)
उप सचिव।

संख्या-2748877/2024/12-2099/49/2022 दिनांक- मार्च, 2024

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- प्रधान महालेखाकार (सिविल/आडिट) प्रथम/द्वितीय, प्रयागराज।
2- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, प्रयागराज।
3- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, प्रयागराज।
4- वित्त नियंत्रक, कृषि निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
5- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ/समस्त कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उ0प्र0।
6- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 (बी0एम0-9 तीन प्रतियों में)।
7- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1
8- गार्ड बुक।

7/3/2024
Gunjan Dubey
7-3-2024

आज्ञा से

(विनोद कुमार सिंह)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट से सत्यापित की जा सकती है ।